न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 282 / 17

निर्णय दिनांकः 27-10-17

1. हरदासराम पुत्र [illegible]राम जाति जाट निवासी बीकासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–05–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित रकबे का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 4 डी.एम.(ए) के मुरब्बा नम्बर 106 / 21 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन दिनांक 24–05–2003 को किया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत के समक्ष यह स्पष्ट था कि अपीलांट को आवंटित रकबा अन्य को आवंटनशुदा रकबा है तो अदालत मातहत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को चाहिए था कि उसके समकक्ष अन्य रकबा अपीलांट को आवंटित करना चाहिए था।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 30–05–14 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–05–2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 4 डी.एम.(ए) के मुरब्बा नम्बर 106/21 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में पदमादेवी पत्नी प्रभूदान, भंवरदान, लूणदान, हड़वन्तदान, धाऊ, मीरा, देवू, संजु पुत्र पुत्रिया प्रभूदान जाति चारण निवासी सरदारपुरा को मोहरबन्द में आवंटनशुदा भूमि थी। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती।

(3) अदालत मातहत द्वारा चूंकि अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी की पात्रता मानते हुए पूर्व में आवंटित भमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस बाबत् किसी प्रकार की जॉच नहीं की गई कि उक्त आराजी आवंटन दिनांक को निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? जबकि अदालत मातहत की प्रथम ड्यूटी है कि किसी भी आवंटन से पूर्व वह यह जॉच करें कि आवंटन से पूर्व भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है या नहीं? अदालत मातहत द्वारा की गई किसी प्रकार की चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) इसलिए अपीलांट का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना साबित है। अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की पुनः जॉच करते हुए उसी किस्म की विवादरहित व निर्विवाद रूप से उपलब्ध भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27-8-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर